अध्याय 6 ⟹ निष्कर्ष तथा सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

यह पाया गया कि रेलवे बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण, अपशेष प्रबंधन तथा ऊर्जा सरंक्षण पर दिशा-निर्देश तथा अनुदेश जारी किए थे। यह भी देखा गया कि इन मामलों पर कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन इकाईयों द्वारा कुछ प्रगति की गई थी। पर्यावरण प्रबंधन में देखी गई महत्वपूर्ण कमियों का निम्नलिखित रूप में वर्णन किया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापन के लिए सहमति (सीटीई) तथा परिचालन के लिए सहमति (सीएफओ) प्राप्त करने के वैधानिक दायित्व का जांच किए गए कार्यशालाएं तथा शेडो के 88 *प्रतिशत* (सीटीई) तथा 68 *प्रतिशत* (सीएफओ) द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा मॉनीटरिंग की मौजूदा प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप सहमति देते समय निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में कमी हुई। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के प्रावधान के साथ कार्यशालाएं तथा शेड़ो में वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को भी कार्य करने की स्थिति में नहीं रखा गया था। डीजी सेटो के लिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानको का पालन नहीं किया गया था।

निस्सरण के उनको पर्यावरण के अन्दर निर्वहन से पूर्व निपटान के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। निस्सरण निपटान संयंत्रों को या तो संस्थापित नहीं किया गया था या जहां पर भी संस्थापित किया गया था वहां निर्वहन की गुणवत्ता को मॉनीटर नहीं किया गया था। ईटीपी कीचड़ को अनुपयुक्त तरीके से

एसपीसबी/सीपीसीबी द्वारा अधिकृत एंजिसियों के माध्यम से उचित उपचार के बिना या उनके निपटान द्वारा खुले क्षेत्र में संचित किया गया था।

जांच की गई इकाईयों में केवल 22 प्रतिशत द्वारा आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया गया। ऊर्जा तथा जल दोनों स्रोतों के संरक्षण हेतु रेलवे बोर्ड से अनुदेशों/दिशा-निर्देशों की एक श्रंखला के बावजूद, उनके कार्यान्वयन की प्रगति धीमी थी।

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतो के उपयोग से संबंधित, भारतीय रेल ने पवन चक्की तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों को संस्थापित करने के लिए सही स्थानों की पहचान के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं की है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने तथा जल पुनर्चक्रण संयंत्र तथा वर्षा जल संचयन के प्रावधान करके जल के संरक्षण हेतु कार्यशालाएं तथा शेडो के प्रयास नगण्य थे। प्रगति की वर्तमान दर पर, भारतीय रेल नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 10 *प्रतिशत* पूरा करने के अपने 2020 विजन को प्राप्त करने में असमर्थ होगा। किसी ठोस कार्य योजना के अभाव में, भारतीय रेल के ऊर्जा लेखापरीक्षा करने तथा अपनी सिफारिशों को लागू करने के प्रयास पर्याप्त नहीं थे।

कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन इकाईयों में उत्पन्न अपशेषों के निपटान में कमियां पाई गई। रिकॉर्डों/रिटर्न के अनुरक्षण तथा प्रस्तुतीकरण और खतरनाक अपशिष्ट की हैंडलिंग पर वैधानिक दिशा-निर्देशो का केवल आंशिक रूप से अनुसरण किया गया। अपशिष्ट तेल के पुन: उपयोग को केवल कुछ कार्यशालाओं तथा शेड़ो में पाया गया। किसी भी उत्पादन ईकाई ने अपशिष्ट तेल का पुन: उपयोग नहीं किया।

चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन इकाईयों के आवधिक निरीक्षण से संबंधित भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमपुस्तिका में उल्लेखित अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया भले ही स्वास्थ्य इकाईयां

वर्कशाप तथा शेड़ो के 89 *प्रतिशत* से जुड़ी थी। जबकि दुर्घटनाओं की संख्या ने कमी की प्रवृत्ति दर्शायी, तब भी चार क्षेत्रीय रेलों में मृत्यु तथा धायल होने के मामले अधिक थे।

6.2 सिफारिशें

- *यांत्रिक निदेशालय, रेलवे बोर्ड को कार्यशालाओं, शेड़ों तथा उत्पादन इकाईयों में वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित वैधानिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनीटरिंग तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। उपकरण नियंत्रण तथा उनको कार्य स्थिति में रखने के प्रावधान को अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है;*

- *भूमिगत जल के प्रदूषण को रोकने के लिए एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशालाओं, शेड़ों तथा उत्पादन इकाईयों को ईटीपी कीचड़ के उचित निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है;*

- *सभी कार्यशालाओं, शेड़ों तथा उत्पादन इकाईयों को ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। विद्युत निदेशालय, रेलवे बोर्ड को लक्ष्यों की प्राप्ति की अच्छे से मॉनीटरिंग तथा लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के प्रभाव का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।*

- *पवन तथा सौर ऊर्जा जैसी नवीकरण ऊर्जा के दोहन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय रेल का 2020 विजन प्राप्त किया जा सके;*

- *यांत्रिक निदेशालय, रेलवे बोर्ड को प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जल पुनर्चक्रण संयंत्र तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना पर इसके अनुदेशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाता है;*

- *रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय तथा स्टोर निदेशालय को खतरनाक अपशिष्टों के उचित लेखांकन, हैंडलिंग तथा निपटान से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के सख्ती से अनुपालन के लिए एक मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करने की आवश्यता है;*

- *रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को सभी कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन इकाईयों के कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।*

(सुमन सक्सेना)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 19 अगस्त 2014